न्याय शुल्क उपलब्ध नहीं, होने पर चस्पा किया जावेगा।

105

विविध- 4051/2018/इंदौर/भू.रा. राजस्व अवमानना प्रकरण क्रमांकः /2018

प्रस्तुति दिनांकः 20 06/2018

न्यायालयः श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

सुगन रियल स्टेट द्वारा भागीदार
प्रवीण पिता श्री कांतीलाल कटारिया,
निवासी-चौमुखी पुल, रतलाम, म.प्र.
तर्फे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता प्रदीप पंवार
पिता श्री नीलकंठराव पंवार
पता- 103, मंगलम् प्राईड, यशवंत निवास रोड,
इन्दौर -. प्रार्थी

विरूद्ध

1) वीएसपी एसोसिएट्स तर्फे प्रोप्रायटर
सुनील सिंह पिता श्री विजय सिंह परिहार,
निवासी- 27, सुखदेव नगर मेन, एरोड्रम रोड, इन्दौर

2) राजस्व निरीक्षक
ग्राम नैनोद तहसील व जिला इन्दौर - प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन-पत्र न्यायालय के आदेश की पक्षकारों एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा अवमानना करने के कारण उनके विरूद्ध कार्रवाई किये जाने बाबद्

मान्यवर,

प्रार्थी द्वारा प्रतिप्रार्थीगण के विरूद्ध यह आवेदन-पत्र निम्नानुसार पेश है कि:-

1. यह कि, प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 ने एक निगरानी प्रकरण क्रमांक 1300-पीबीआर/2016 प्रार्थी के विरूद्ध पेश किया था, जो अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक मल्हारगंज, इन्दौर के द्वारा दिनांक 16/02/2016 को प्रकरण क्रमांक 9/अ-12/2015-16 में पारित आदेश से असंतुष्ट एवं व्यथित होकर पेश की गई थी।
2. यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 1300-पीबीआर/2016 को आदेश दिनांक 11/04/2017 के द्वारा स्वीकार किया गया जिसमें पूर्व में हुए प्रकरण में उल्लेखित कृषि-भूमि के सीमांकन आदेश को निरस्त किया गया है, राजस्व निरीक्षक को आदेशित किया गया है कि, वह पुनः प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 व हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में विधिवत् सीमांकन करे।
3. यह कि, उक्त दिनांक 11/04/2017 को पारित इस माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में बार-बार प्रार्थी द्वारा विधि द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 4051/2018/इंदौर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-3-2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । तहसील न्यायालय से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के जवाब को देखते हुए इस प्रकरण में आगे की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	